न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2019

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीः—
1. तहसीलदार (भूमिधारक) पाली	1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोबरराम जाति भील निवासी 31, सुर्या कोलोनी, पाली तहसील पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री केसर सिंह, तहसीलदार (सरकारी पैरोकार)

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:<u>आदेश</u>:— दिनांक 17.02.2020

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद पटवार मण्डल बाला के ग्राम कानेलाव में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि जितेन्द्र कुमार पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी 31 सूर्या कॉलोनी पाली तहसील पाली के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदार दर्ज है। वर्णित भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसका वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया हुआ नही है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का वगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा कृषि भूमि पर मौके पर ईट बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा इसी खसरे मे मिट्टी खुदाई की जा रही है एवं कच्ची ईटो से टिन सेड एवं दो पक्के मकान भी बनाए जाकर मौके पर कृषि भूमि का अकृषि के रूप मे उपयोग किया जा रहा है जिससे कृषि भूमि का भौतिक स्वरूप एवं उर्वरता शक्ति का नष्ट कर उत्पादकता को खत्म किया गया है। इस प्रकार खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्ववल भूमि को अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। अतः सरहद बाला पटवार मण्डल के ग्राम कानेलाव मे स्थित खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 कुल रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. प्रार्थना—पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के नाम धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र अ नियम 60 के तहत नोटिस जारी किया गया

Rah

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

तथा अप्रार्थी बावजुद नोटिस तामिल के न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुये इस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13–02–2020 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

3. प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. सरकारी पैराकार ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद पटवार मण्डल बाला के ग्राम कानेलाव में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि जितेन्द्र कुमार पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी 31 सूर्या कॉलोनी पाली तहसील पाली के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदार दर्ज है। जिसका वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया हुआ नही है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का वगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा कृषि भूमि पर मौके पर ईट बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा इसी खसरे मे मिट्टी खुदाई की जा रही है एवं कच्ची ईटो से टिन सेड एवं दो पक्के मकान भी बनाए जाकर मौके पर कृषि भूमि का अकृषि के रूप मे उपयोग किया जा रहा है जिससे कृषि भूमि का भौतिक स्वरूप एवं उर्वरता शक्ति का नष्ट कर उत्पादकता को खत्म किया गया है। इस प्रकार खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्ववल भूमि को अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। अतः सरहद बाला पटवार मण्डल के ग्राम कानेलाव मे स्थित खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 कुल रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावें।

5. बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने के बाद पाया कि ग्राम कानेलाव में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि जितेन्द्र कुमार पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी 31 सूर्या कॉलोनी पाली तहसील पाली के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदार दर्ज है। जिसका वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया हुआ नही है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का वगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा कृषि भूमि पर मौके पर ईट बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा इसी खसरे मे मिट्टी खुदाई की जा रही है एवं कच्ची ईटो से टिन सेड एवं दो पक्के मकान भी बनाए जाकर मौके पर कृषि भूमि का अकृषि के रूप मे उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्ववल भूमि को अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर सरहद ग्राम कानेलाव में स्थित कृषि भूमि खसरा

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

नम्बर 235 रकबा 15.19 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार, पाली तत्काल उक्त भूमि का कब्जा राज्य पक्ष में प्राप्त कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस आदेश की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 16:58:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: